न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2996 सन् 2026

अभिषेक पुत्र पप्पू, निवासी ग्राम लखनवाड़ा, थाना अरनियां, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–157 सन् 2026

अन्तर्गत धाराः–333, 351(3), 352, 109(1), 3(5), बी.एन.एस.

व 25/ 27 आयुध अधिनियम।

थाना–अरनियां, जिला बुलन्दशहर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

01. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है।

02. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा विनिता देवी ने थाना हाजा पर सूचना दी कि दिनांक 10.01.2026 को करीब शाम 04.30 बजे वादी के गांव के ही अभिषेक, दीपक उर्फ गोला उर्फ डीसी, अमित, विपुल उर्फ जीतन व अन्य लोगों द्वारा वादिया के घर के बाहर अपनी मोटरसाईकिल रोकते ही उसके घर में घुसकर वादिया व वादिया पक्ष के लोगों को जान से मारने की नीयत से अन्धाधुन्ध फायरिंग शुरू कर दी, जैसे–तैसे वादिया पक्ष के लोगों ने अपनी जान बचाई, फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गये, तो उक्त अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मौके पर वादी पक्ष को दो खोखा कारतूस भी मिले। अभियोग पंजीकृत होकर विचेचना प्रचलित की गयी।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः अभिवाक किया कि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मामले में बिल्कुल निर्दोष है, उसने उपरोक्त अपराध कारित नही किया है। आवेदक/अभियुक्त को अपराध उक्त में झूठा गलत तथ्यें के आधार पर फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई अपराध नही किया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमें की घटना का कोई भी निष्पक्ष साक्षी नहीं है। कथित घटना के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय आख्या नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नही है। इन कथनों के आधारों पर जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की मांग की है।

06. अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

07. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर प्रकरण के अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी व वादी के परिवार पर जान से मारने की नीयत से अन्धाधुन्ध फायरिंग करने, गाली गलौंच करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी व्यक्ति का कोई चोट आना दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक/ अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। बरामदगी का कोई जन साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक/ अभियुक्त दिनॉक–29.5.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला विवेचनाधीन है तथा विचारण में समय लगने की संभावना है।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 16:36:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुण दोष पर जाते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 30,000/–(तीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाये :–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगा,
3. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
4. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 06.06.2026
शिवम गौड़–पी0ए0.

आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015